राजस्थान सरकार
कार्मिक(ख–3/विद्युत)विभाग

कमांकःप.06(44)कार्मिक/ख–3/2010 जयपुर,दिनांक 17 JAN 2017

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि शासन सचिवालय परिसर स्थित भवनों के कार्यालयों में स्थापित विद्युत उपकरणों यथा हीटर, ब्लाअर, कम्प्युटर, प्रिन्टर,पंखे,कूलर,ए.सी.,ट्यूब लाईट्स, फोटो–कॉपी मशीन,फैक्स इत्यादि को कार्यालय समय में उपयोग में नहीं आने की स्थिति में और Lunch समय मे एवं कार्यालय समय पश्चात् चलते रहते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से बिजली की खपत होती है तथा राजकीय राशि का अपव्यय होता है।

अवकाश के दिनों में उक्त उपकरणों के चालू रहने पर शॉर्ट–सर्किट की संभावना बढ़ जाती है जिससे अग्नि दुर्घटना का भी अंदेशा बना रहता है। यहां यह भी अवगत कराना उचित है कि पूर्व में सचिवालय में उपकरणों के चालू रहने के कारण अग्नि दुर्घटनाएं हो चुकी है जिसकी वजह रिकॉर्ड एव फर्नीचर आदि का नुकसान भी हुआ है।

अतः सभी अधिकारीगण से निवेदन है कि अपने–अपने कार्यालयों के अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश प्रदान करें कि आवश्यक नहीं होने पर बिजली के सभी उपकरण बंद रखे जावें और कार्यालय कक्ष बन्द करते समय बिजली के सभी उपकरण बन्द किया जाना सुनिश्चित करें।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव,
कार्मिक विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मा. मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण एवं राज्यमंत्रीगण/ संसदीय सचिवगण।
3. निजी सचिव, सचिवालय स्थित समस्त आयोग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त शासन उप सचिव/ विशेषधिकारी।
7. समस्त सहायक शासन सचिव/ अनुभागाधिकारी।
8. अनुभागाधिकारी कार्मिक (ख–3) सुरक्षा विभाग।
9. सहायक अभियन्ता(विद्युत) खण्ड–6 सार्वजनिक निर्माण विभाग शासन सचिवालय को भेजकर लेख है कि प्रतिदिन कार्यालय समय पश्चात् कमरों के बन्द होने पर बिजली उपकरण एवं लाईटें बन्द होने की जॉच अपने स्तर पर करवाये तथा जिन कमरों की लाईटे बन्द नहीं पाये जाने पर संबंधी विभाग को लिखित में पत्र जारी करे।

संयुक्त शासन सचिव
10/1/17